



83

न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण कमांक

मिस- 889-I/12

मनोज पिता शांतिलाल गर्ग
उम्र 37 वर्ष निवासी नया बाजार, नीमच कैंट
नीमच तहसील व जिला नीमच म.प्र.

— आवेदक

विरुद्ध
1 श्री रमेश चन्दर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन
2 म0प्र0शासन

— अनावेदक

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 29 म.प्र. भू- राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान् चन्दर अपर
रा आज दि 10/4/12 को

स्तुत
कलेक्टर मुन्यवर महोदय,
कलेक्टर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

- 1- यहकि आवेदक ने कलेक्टर महोदय, जिला नीमच, म0प्र0 के समक्ष एक आवेदन पत्र भूमि की अदला-बदली हेतु प्रस्तुत किया था जो प्रकरण कमांक 10/ए/19(4)/06-07 पर दर्ज किया गया । जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा विस्तृत जांच के पश्चात दिनांक 24-08-05 को भूमि की अदला-बदली का आदेश आवेदक के पक्ष में पारित किया गया था और तदनुसार उक्त आदेश का पालन किया गया । उसके पश्चात आवेदक द्वारा उस भूमि को उन्नत बनाए जाने में काफी धनराशि व्यय की है ।
- 2- यहकि श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के पत्र कमांक 11076/एफ-88/रीडर-1/2011 दिनांक 3-12-11 के अनुक्रम में कलेक्टर के आदेश को स्वमेव पुनरीक्षण में लिया गया है
- 3- यहकि, इसके पश्चात अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग द्वारा आवेदक को दिनांक

श्रीमान् चन्दर अपर
10/4/12
श्रीमान् चन्दर अपर (रा.मं.)
कार्यालय महाविद्यया, ग्वालियर

(Handwritten signature)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक मिसलेनियम 889-एक/2012 [अर्ज/रुचि] जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-5-2017	<p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से श्री बी०एन०त्यागी पेनल लॉयर उपस्थित । यह विविध प्रकरण संहिता की धारा 29 के अन्तर्गत अपर आयुक्त से प्रकरण आयुक्त अथवा अन्य अपर आयुक्त को सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने से संबंधित है। यह प्रकरण वर्ष 2012 से लंबित है, परन्तु आवेदक द्वारा इसके निराकरण में रुचि नहीं ली जा रही है । इसके अतिरिक्त लगभग 7 वर्ष में जिन अपर आयुक्त से प्रकरण स्थानान्तरित करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था उनका स्थानान्तरण हो चुका होगा । अतः अब इस प्रकरण के निराकरण का कोई औचित्य भी नहीं रह जाता है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण समाप्त किया जाता है । .</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i> अध्यक्ष</p>